न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश, जालोर।

पीठासीन अधिकारी —— बन्ना लाल जाट
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
(लिंक अधिकारी)

दाण्डिक विविध (जमानत) प्रकरण संख्या 244/2026

(सीआईएस नंबर 244/2026)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 75/2021, पुलिस थाना सायला, अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 506, 325, 435, 367, 308/149, 120बी भारतीय दंड संहिता, सेशन प्रकरण (सीआईएस)संख्या–189/2021 राज. राज्य बनाम अशोक जाखड वगैरह व सेशन प्रकरण (सीआईएस) संख्या– 40/2025 राज. राज्य बनाम रमेश विश्नोई वगैरह

पुखराज पुत्र केसाराम, उम्र 29 वर्ष, निवासी डाबली, पुलिस थाना सायला, जिला जालोर।

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य सरकार जरिये लोक अभियोजक, जालोर

.... अप्रार्थी

——

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थितः–

1 श्री खसाराम परिहार, अभिभाषक–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2 विद्वान अपर लोक अभियोजक–राजस्थान राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 10.06.2026

1. इस आदेश द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त पुखराज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 का निस्तारण किया जा रहा है। उपर्युक्त जमानत प्रार्थना पत्र श्रीमान सेशन न्यायाधीश, जालोर से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है।

Authenticated Document

2. जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का दौराने बहस मुख्य रूप से तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को हस्तगत प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आपराधिक कृत्य कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त विरमाराम उर्फ नेनाराम, अशोक, शिवराज उर्फ सवाईराम की जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है एवं सहअभियुक्तगण पाबूराम, तगाराम, रमेश विश्नोई उर्फ भाणिया व राजेश उर्फ राजू फौजी व यशवंत उर्फ बंटी की जमानत न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का मामला उनसे भिन्न नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

4. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक का दौराने बहस मुख्य रूप से तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर गंभीर प्रकृति का अपराध कारित करने का आरोप है। अतः अपराध की प्रकृति एवं गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर खारिज फरमाया जावे।

5. उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया। इस परिप्रेक्ष्य में केस डायरी एवं सेशन प्रकरण संख्या 19/2022 सरकार बनाम अशोक वगैरह का गहनता से अवलोकन किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सायला की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई भी आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं रहा है।

6. हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर मजरूब मोहनलाल का अपहरण कर उसके साथ मारपीट कर गंभीर चोटें कारित करने व मजरूब की स्विफ्ट गाड़ी को जलाकर रिष्टी कारित करने का आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त पर अंतर्गत धारा 147, 148, 365, 323, 325, 506, 435, 367, 308/149, 120बी भारतीय दंड संहिता के तहत आरोप है। सहअभियुक्तगण तगाराम, पाबूराम, राजेश उर्फ राजू, रमेश विश्नोई उर्फ भाणिया, यशवंत उर्फ बंटी भायल के जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार किए जा चुके हैं। प्रार्थी/अभियुक्त

Authenticated Document

दिनांक 05.06.2026 से अभिरक्षा में है। प्रार्थी/अभियुक्त से संबंधित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। प्रकरण के शेष अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है।

7. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार की टिप्पणी व्यक्त किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त पुखराज की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष 50,000/– रुपये का व्यक्तिगत मुचलका एवं 25,000–25,000/– रुपये की दो प्रतिभूतियां इस आशय के साथ प्रस्तुत कर संतुष्ट कर दे कि वह प्रत्येक नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित रहेगा, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SMWP (Cri) No. 04/2021 "IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL" में पारित निर्णय दिनांक 01.02.2023 में प्रतिपादित दिशा–निर्देशों की अनुपालना में इस आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त को सूचनार्थ जिला कारागृह, जालोर की विभागीय वैध ई–मेल आई.डी. के माध्यम से प्रेषित की जाए।

(बन्ना लाल जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जालोर
(लिंक अधिकारी)

10. आदेश आज दिनांक 10.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बन्ना लाल जाट)
अपर सेशन न्यायाधीश,
जालोर
(लिंक अधिकारी)

MUSKAN SILAWAT
Digitally signed by MUSKAN SILAWAT
Location: "I attest to the accuracy and authenticity of this document."
Date: 2026.06.11 12:33:38 +0530

Authenticated Document